प्रेस नोट **दिनॉक 31.10.2020** **जनपद संतकबीरनगर**

हिस्ट्रीशीटर चोरी की मोटर साइकिल व 01 अदद अवैध तमंचे व 01 अदद जिंदा कारतूस तथा 01 किग्रा0 अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री ब्रजेश सिंह** के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संजय कुमार** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना बेलहरकाल द्वारा समय करीब 05.30 बजे राजघाट पुल के पास से **01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर 01 अदद अवैध जिंदा कारतूस 315 बोर व 01 किग्रा0 अवैध गांजा व 01 अदद मोटरसाइकिल हीरो पैशन प्रो रजिस्ट्रेशन नंबर UP 58 Y 1215 चोरी के साथ हिस्ट्रीशीटर रविशंकर पुत्र राजाराम को** गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर के विरुद्ध थाना हाजा पर बरामदगी के अनुसार मु0अ0सं0 205/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम व मु0अ0सं0 206/2020 धारा 8/2020 NDPS Act पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

01- रविशंकर पुत्र राजाराम निवासी बेलहरकला थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर

बरामदगी –

01- 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद अवैध जिंदा कारतूस 315 बोर।

02- 01 अदद मोटरसाइकिल हीरो पैशन प्रो रजिस्ट्रेशन नंबर UP 58 Y 1215 चोरी की।

03- 01 किग्रा0 अवैध गांजा

विवरण –

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर महोदय के द्वारा वांछित एवं संक्रिय अपराधियों व जमानत में बाहर हुए आये हुए शातिर अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 31.10.2020 को समय करीब 05.30 बजे राजघाट पुलि के पास प्रभारी निरीक्षक बेलहरकला प्रदीप सिंह व व हमराहीगणों व सर्विलांस टीम द्वारा थाना बेलहरकला का हिस्ट्रीशीटर उपरोक्त को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है तथा उक्त अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद अवैध जिंदा कारतूस 315 बोर। 01 किग्रा0 अवैध गांजा, 01 अदद मोटर साइकिल हीरो पैशन प्रो रजिस्ट्रेशन नंबर UP 58 Y 1215 चोरी बरामदी हुई है। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया कि साहब मैं मेरे पास कोई आय का साधन नही है। मैं स्वयं भी गांजा पीता हूँ और पूड़िया बनाकर बेचता हूँ। आज भी गांजा बेचने के लिए निकला था कि आपलोगों के द्वारा पकड़ लिया गया। मोटर साइकिल के बारे मे पूछने पर बताया की साहब यह मोटर साइकिल मैं दिनांक 20.09.2020 को सायं 4.30 बजे ग्राम पिपरबाती के पास हनुमान मंदिर के पास से एक व्यक्ति से उस समय चोरी किया था जब मोटर साइकिल मे चाभी लगी हुई थी और मोटर साइकिल का स्वामी अपनी मोटर साइकिल खड़ी करके पेशाब करने

के बाद मंदिर के अन्दर लगे हैण्डपम्प पर हाथ धोने व पानी पीने चला गया था। थाने पर पता किया गया तो तो इस घटना के संबन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 193 / 2020 धारा 379 भादवि पंजीकृत है।

अनावरणः-

मु0अ0सं0 193 / 2020 धारा 379 / 411 थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार हिस्ट्रीशीटर का आपराधिक इतिहास –

1- मु0अ0सं0 226/2016 धारा 379 भादवि थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर।
2- मु0अ0सं0 NIL/2016 धारा 41 / 411 भादवि थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
3- मु0अ0सं0 580/2016 धारा 356 / 411 भादवि थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर ।
4- मु0अ0सं0 706/2016 धारा 379/411 भादवि थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
5- मु0अ0सं0 1544/2016 धारा 379/411 भादवि थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
6- मु0अ0सं0 80/2017 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
7- मु0अ0सं0 193 / 2020 धारा 379/411 भादवि थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।
8- मु0अ0सं0 205 / 2020 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।
9- मु0अ0सं0 206/ 2020 धारा 8/2020 NDPS Act थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तारी टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक थाना बेलहरकला श्री प्रदीप सिंह, हे0कां0 रविशंकर श्रीवास्तव, हे0कां0 विनोद तिवारी, हे0कां0 जय प्रकाश मिश्रा, कां0 पुनीत पाठक, कां0 राजाराम गुप्ता, कां0चा0 जयप्रकाश